प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 बीएनएसएस 2023)

1. जिला - भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना - प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर

प्र. ई. रि. स. - .... दिनांक - ....

2. (अ) अधिनियम - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें - 7, 7ए

(ब) अधिनियम - .... धाराये - 61 बीएनएस 2023

(स) अधिनियम - .... धाराये - ....

(द) अन्य अधिनियम - .... धाराये - ....

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या - .... समय - ....

ब. अपराध के घटने का दिन - मंगलवार, दिनांक - 07.10.2025 समय - 05:05 पी.एम.

स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक - 19.09.2025 समय - 01:45 पी.एम.

4. सूचना की किस्म - लिखित/मौखिक - लिखित।

5. घटना स्थल -

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी - बरूख उत्तर-पश्चिम दिशा 07 किलोमीटर लगभग

(ब) पताः- कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीयो जोधपुर डिस्काम जोधपुर में।

बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो

पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सह परिवादी का नाम

1. (अ) नाम - श्री भैराराम (ब) पिता/पति का नाम - श्री देवाराम

(स) जन्म तिथि/वर्ष - 52 वर्ष (द) राष्ट्रीयता - भारतीय

(य) व्यवसाय -सोलर उर्जा का कार्य (र) पता-प्लाट नं0 117 रतन मूनिनगर सांगरियां जोधपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित-

(1.) श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत उम्र 42 वर्श निवासी गली नम्बर 08 प्लाट नम्बर 627 हनुवंत ए बीजेएस जोधपुर हाल वाणिज्यिक सहायक कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर।

(2) श्री फूलसिंह पुत्र श्री श्यामलाल जाति राजपूत उम्र 40 वर्श निवासी प्लाट नम्बर 03 दधिमति नगर भदवासिया जोधपुर हाल ठेके पर संचालित वाहन संख्या आरजे 19 टीबी 0413 चालक (प्राईवेट) कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः- कुछ नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्टियां - शुन्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्यः- रिश्वत राशि 3,500 रूपये।

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)............. कोई नहीं..................

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट...

Ly

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर विषय रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी/अधिकारीयों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत महोदय जी उपरोक्त विषय के क्रम में, मैं- भेराराम पुत्र देवाराम उम्र 52 वर्ष जाति जाट निवासी प्लाट नंबर 117 रतन मूनि नगर सागरिया जोधपुर निवेदन करता हूँ कि मेरी एक फर्म श्री कृशणा ग्रीन ऐनर्जी के नाम से पंजीयन सुधा है। मेरी फर्म विभिन्न विधुत उपभोक्ताओं के विधुत विभाग के मार्फत सोलर प्लांट लगाने का काम करती है। मैने सहायक अभियंता जेडीविविएनएल ए 7 आर टी ओ आफिस के जोधपुर के अधिन विधुत उपभोक्ता श्रीमति खुशबू भास्कर, श्री सुमेरसिंह व ओमप्रकाश के नाम से उनके विधुत कनेकशंन पर सोलर प्लांट लगाने हेतु प्रथक-2 पत्रावलीया तैयार कर सहायक अभियंता ए 7 आर टी ओ जोधपुर कार्यालय मे पिछले 2-3 माह से जमा करा रखी है। उक्त तीनो पत्रावलीयों मे समस्त कागजी पूर्ति करवाने एवं बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद भी संबधित सहायक अभियंता श्री चेतन शर्मा द्वारा उक्त तीनो उपभोक्ताओ के सर्विस कनेक्षन आदेश जारी नही करने पर दिनांक 18/09/2025 को श्री चेतन शर्मा ए ई एन से मेरे उक्त काम के लिए मिला तो उन्होने अपने कार्यालय के बाबू जितेन्द्र व फुलसिंह स्टोर कीपर पे ए, ई. एन. जे.ई.एन. बाबू, लाईनमेन व अपने स्वंय के लिए मेरे उपरोक्त कार्य उपभोक्ताओ के सर्विस कनेक्षन आदेश व नेट मीटंरिग करवाने की एवज मे प्रत्येक फाइल के 3500/- रूपये की मांग की एवम अभी एक फाइल 3500/- लेकर बुलाया। मैं मेरे उपरोक्त जायज कार्य के एवज मे स्टोर कीपर फूलसिंह व जितेन्द्र बाबू को एईएन चेतन शर्मा, जेईएन, लाईन मैन एवं इन दोनो स्वंय के लिए रिश्वत राशि नही देकर, रिश्वत लेते हुवे रंगे हाथो पकड़ाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हॅं। मेरी इन कर्मचारियों व अधिकारियों से कोई रंजिश व लेन-देन बकाया नही। कानूनी कार्यवाही करावें 19/09/25 भवदीय एस.डी. भेराराम भेराराम पुत्र देवाराम जाति-जाट उम्र 52 वर्श रतन मूनि नगर सांगरिया जोधपुर 9269196831 एस.डी. मनीश चैधरी 19/09/25 एस.डी. जे. एन. व्यास 03.10.2025 एस.डी. सुरजसिंह (सुरजसिंह) 03/10/2025 कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू जोधपुर दिनांक 19.09.2025 वक्त 01:45 पी.एम.इस समय परिवादी श्री भेराराम पुत्र श्री देवाराम जाति जाट आयु 52 वर्ष निवासी प्लाट नं0 117 रतन मूनि नगर सांगरियां जोधपुर मोबाईल नं. 9269196831 ने कार्यालय उपस्थित होकर मन ओमप्रकाश चोधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रषचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर के समक्ष उपरोक्त तथ्यो की एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड स्वप्रमाणित फोटो प्रति पेश की एवं दरियाफत पर बताया कि शिकायत में अंकित समस्त तथ्य सही है जो मेरे हस्तकलमी लिखे जाकर मेरे हस्ताक्षर किये हुवे है। साथ ही बताया कि श्री चेतन शर्मा सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर डिस्काम, जोधपुर एंव उनका अधीनस्थ स्टाफ कनिस्ट अभियंता श्री कपिल, सीसी बाबु श्री जितेन्द्र व स्टोर कीपर श्री फूलसिंह बहुत ही शातिर दिमाग के होकर भ्रष्ट कार्मिक है जो किसी भी उपभोक्ता का काम बिना रिश्वत के नही करते तथा मेरा भी सोलर प्लांट लगाने हेतु जमा करवाई गई पत्रावलियों पर सर्विस कनेक्षन आदेश जारी करने एवं कनेक्षन करवाने की कार्यवाही की एवज मे बिना रिश्वत लिए कार्य नही करेगे। वगैरा रिपोर्ट एवं दरियाफत से मामला प्रथम दृश्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया गया। मन अतिरिकत पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य मे व्यस्त होने के कारण रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं अग्रिम कार्यवाही श्री मनीष चोधरी निरीक्षक पुलिस से करवाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 19.09.2025 को वक्त 02:15 पी.एम.पर श्री मनीष चोधरी निरीक्षक पुलिस की अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थिति प्राप्त की जाकर कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री भेराराम व मनीष चोधरी निरीक्षक पुलिस का आपसी परिचय करवाया गया तथा निरीक्षक पुलिस को बुलाने के मतंव्य से अवगत करवाकर, परिवादी भेराराम के द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट मय दस्तावेज सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आवशयक दिशा निर्देश दिये गये। वक्त 02:20 पी.एम.पर मन मनीष चोधरी निरीक्षक पुलिस परिवादी श्री भेराराम व उनकी रिपोर्ट मय दस्तावेज को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के बारे में पुछताछ की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यों एवं दरियाफत से मामला प्रथम दृश्टया भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का पाये जाने पर रिष्वती राषि मांग सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। वक्त 02:25 पी.एम. पर श्री प्रकाश कानि नं. 265 को अपने कार्यालय कक्ष मे तलब कर, बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाया गया एवं कार्यालय कक्ष मे उपस्थित परिवादी भेराराम व कानि प्रकाश का आपसी परिचय करवाया गया एवं दोनो के मोबाईल नम्बर आपस मे आदान प्रदान करवाये गये। तत्पष्चात कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर बाहर निकलवाकर संचालन की विधि कानि प्रकाश व परिवादी भेराराम को समझाईस की गई एवं डिजिटल वाइस टेप रिकार्डर मे नया मैमोरी कार्ड डालकर, डिजिटल वाइस टेप रिकार्डर आवशयक हिदायत के साथ कानि प्रकाश को सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर के लिए परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से परिवादी के साथ रवाना किया गया। वक्त 04:25 पी.एम.पर श्री प्रकाष कानि. हमरा परिवादी श्री भैराराम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने लाने हेतु गये हुवे पुनः कार्यालय मे उपस्थित आए तथा कानि प्रकाश ने डिजिटल वाइस रिकार्डर स्वीच आफ शुदा मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया तथा परिवादी भैराराम ने बताया कि मैं व प्रकाश कानि. ब्यूरो कार्यालय से अपनी निजी मोटरसाईकल से रवाना होकर कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर के पास पहुंचे जहां पर श्री प्रकाश कानि. ने मुझे आवष्यक समझाईश कर साथ लाये डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड स्वीच आन कर मुझे सुपुर्द किया। जिसको मैं अपने पास सुरक्षित रखकर कार्यालय

Ly

सहायक अभियंता कक्ष में पहुंचा जहां पर श्री चेतन शर्मा सहायक अभिंयता उपस्थित मिले, जिनसे मैनें मेरी सोलर प्लांट की पत्रालियां उपभोक्ता श्रीमती खुशबू भास्कर, श्री सुमेरसिंह व श्री ओमप्रकाश की सर्विस कनेक्षन आदेश के बारे में पूछने एवं कनेक्षन करवाने की प्रक्रिया हेतु पेण्डिग होने के बारे में पूछने पर श्री चेतन शर्मा एईएन ने मुझे बताया कि आपकी फाईले श्री फूलसिंह स्टोर कीपर के पास है एवं साथ ही श्री चेतन शर्मा ने फूलसिंह को आवाज लगाई मगर फूलसिंह कार्यालय में उपस्थित नहीं आया। जिस पर मैनें कार्यालय परिसर में श्री फूलसिंह को ढूंढा, मगर फूलसिंह नहीं मिला जिस पर मैं पुनः श्री प्रकाष कानि के पास उपस्थित आया तथा डिजिटल वाइस रिकार्डर उन्हे सुपुर्द किया जिन्होने डिजिटल वाइस रिकार्डर को स्वीच आफ कर अपने पास सुरिक्षत रखा। मैने उपरोक्त हालात श्री प्रकाश कानि. को बताये एवं मैं व श्री प्रकाश कानि. ने अपनी उपस्थित छुपाते हुवे श्री फूलसिंह का कार्यालय में उपस्थित आने की इंतजार किया। करीब आधा घण्टे बाद श्री फूलसिंह के कार्यालय में आने की गोपनीय जानकारी प्राप्त होने पर श्री प्रकाश कानि. ने पुनः डिजिटल वौइस् रिकार्डर का स्वीच आन कर डीवीआर मुझे सुपुर्द कर श्री फूलसिंह से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु आवशयक हिदायत के साथ एईएन कार्यालय के लिए रवाना किया। मैं वहां से रवाना होकर एईएन कार्यालय परिसर में पहुचां तो जेईएन कार्यालय कक्ष के सामने श्री फूलसिंह खड़ा मिला जो मुझे देखकर एक तरफ मेरे पास आ गया। जिनसे मैने मेरे तीनो पत्रावलियों मे सर्विस कनेक्षन आदेश आदि कार्य करवाने के बारे मे वार्ता की, वार्ता के दौरान श्री फूलसिंह स्टोर कीपर द्वारा मेरा उपरोक्त कार्य करवाने के लिए अपने स्वंय, सहायक अभियंता श्री चेतन शर्मा, कनिश्ठ अभियंता श्री कपिल, सीसी बाबू श्री जितेन्द्र व लाईन के लिए 3500/- रूपये बतौर रिश्वत की मांग की गई। उस वक्त मेरी फर्म का सहकर्मी श्री सुरेश सारण उपस्थित था। श्री फूलसिंह स्टोर कीपर के कहने पर उनके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 3500 रूपये एटीएम से निकालकर लाने हेतु भेजा गया। उक्त वार्ता डिजिटल वाइस रिकार्डर मे रिकार्ड हुई। मैनें श्री सुरेश सारण सहकर्मी को मेरे स्तर पर राशि लाने के लिए मना कर दिया था। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वाइस रिकार्डर को आन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताई गई उपरोक्त कथनो की ताईद होकर श्री फूलसिंह के द्वारा अपने स्वंय के लिए ओर डिस्काम कार्यालय के उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हूई मगर पेश आरोपीगणो से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता नही होने के कारण एवं आगामी दिनांक 20, 21,22.09.2025 को राजकीय अवकाश होने के कारण आईदा दिनांक 23.09.2025 को उपरोक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों से मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया। डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकाॅर्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की जायेगी। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर अपने पास सुरक्षित अलमारी मे रखकर लाक किया गया। ताबाद परिवादी भैराराम को आवष्यक हिदायत के साथ रूखस्त किया गया। दिनांक 23.09.2025 को वक्त 2:20 पीएम पर पूर्व से पाबंद शुदा परिवादी भैराराम मन निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया। जिस पर कानि प्रकाश को कार्यालय कक्ष मे तलब कर मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित अलमारी मे रखा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड निकालकर कानि प्रकाश को सुपुर्द कर आवष्यक हिदायत के साथ परिवादी की निजी मोटरसाईकल से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर लाने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर डिस्काम जोधपुर के लिए रवाना किया गया। वक्त 320 पीएम पर कानि प्रकाश हमरा परिवादी श्री भैराराम के उपस्थित आया तथा प्रकाश कानि ने डिजिटल वाइस रिकार्डर स्वीच आफ शुदा मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। परिवादी ने बताया कि मैं व कानि श्री प्रकाष मेरी निजी मोटरसाईकल से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय सहायंक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर डिस्काम जोधपुर के पास पहुचे, जंहा पर कानि प्रकाश ने डिजिटल वाइस रिकाडर स्वीच आन कर मुझे सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता के लिए रवाना कियां तथा प्रकाश कानि अपनी उपस्थिति छुपाते हुवे कार्यालय के आसपास मुकिम रहे। मैं वंहा से रवाना होकर एईएन कार्यालय कक्ष पंहुचा जंहा पर श्री चेतन शर्मा एईएन उपस्थित मिले, जिनसे मैने मेरे तीनो उपभोक्ताओ के सर्विस कनेक्षन आदेश (एससीओ) के बारे मे पूछा तो उन्होने पास ही उपस्थित श्री फूलसिंह से मेरी पत्रावली के बारे में पूछा तो फूलसिंह ने कहा कि उपभोक्ता श्रीमती खूशबू भास्कर की पत्रावली में वर्क कम्प्लीषन(कार्य पूर्णता) प्रमाण पत्र लगा हुआ नही है जिस पर एईएन की टेबल पर ही पड़ी श्रीमती खूशबू भास्कर की पत्रावली का अवलोकन श्री चेतन शर्मा को करवाकर बताया कि इसमें कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र लगा हुआ हैं जिस पर श्री चेतन शर्मा एईएन ने मुझे एससीओ आदेश बनाने वाले बाबू श्री जितेन्द्र सिंह से सीसी ब्रान्च में जाकर मिलने को कहा जिस पर मैं सीसी ब्रान्च में गया मगर जितेन्द्र सिंह अवकाश में होना तथा उनकी जगह काम करने वाला बाबू भी सीट पर नहीं होने से मैं पूनः श्री प्रकाश कानि. के पास उपस्थित आया एवं डीवीआर सुपुर्द किया जिसका कानि. प्रकाश ने स्वीचआफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा हम दोनों वहां से रवाना होकर आपके पास आये है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर का स्वीच आन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री भैराराम के बातये तथ्यों की ताईद हुई मगर पेश संबंधित अधिकारियो एंव कर्मचारियों से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अब तक नहीं होने के कारण आईन्दा पुनः मांग सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया मगर परिवादी श्री भैराराम ने बताया कि अब नवरात्रा होने के कारण मैं अपने गृह कार्य में व्यस्त रहूगां तथा उपस्थित आने में मजबूरी है तथा मैं दिनांक 01.10.2025 को कार्यालय मे उपस्थित हो जाउगां । जिस पर पेश रहे अधिकारियो/कर्मचारियों से रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 01.10.2025 को निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री भैराराम का आवष्यक गोपनीयता की हिदायत के साथ कार्यालय से रूखस्त किया गया। डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की जायेगी। डीवीआर

को मन निरीक्षक पुलिस ने सुरक्षा की दृश्टि से अपने पास सुरक्षित अलमारी में रखकर लाक किया गया। दिनांक 01.10.2025 को वक्त 10:50 ए.एम. पर पूर्व से पाबंद शुदा परिवादी भैराराम मन निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया। जिस पर कानि प्रकाश को कार्यालय कक्ष मे तलब कर मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित अलमारी मे रखा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड निकालकर कानि प्रकाश को सुपुर्द कर आवष्यक हिदायत के साथ परिवादी की निजी मोटरसाईकल से शेष रहे अधिकारियो/कर्मचारियों से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर लाने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर डिस्काम जोधपुर के लिए रवाना किया गया। वक्त 11:51 ए.एम. पर श्री प्रकाश कानि. हमरा परिवादी श्री भैराराम के कार्यालय उपस्थित आया तथा प्रकाश कानि ने डिजिटल वाइस रिकार्डर स्वीच आफ शुदा मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। परिवादी ने बताया कि मैं व कानि श्री प्रकाश मेरी निजी मोटरसाईकल से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय सहायंक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर डिस्काम जोधपुर के पास पहुचे, जंहा पर कानि प्रकाश ने डिजिटल वाइस रिकाडर स्वीच आन कर मुझे सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता के लिए रवाना किया तथा प्रकाश कानि अपनी उपस्थिति छुपाते हुवे कार्यालय के आसपास मुकिम रहे। मैं वहां से रवाना होकर एईएन कार्यालय कक्ष पंहुचा जंहा पर श्री चेतन षर्मा एईएन उपस्थित मिले, जिनसे मैने मेरे तीनों उपभोक्ताओ के सर्विस कनेक्षन आदेश(एससीओ) के बारे में पूनः पूछा तो उन्होने संबंधित बाबू श्री जितेन्द्र बाबू से मिलने को कहा जिस पर मैं श्री चेतन शर्मा एईएन के बताये अनुसार सीसी ब्रान्च में जाकर श्री जितेन्द्र बाबू जी से मिला तो जिन्होने मेरे तीनों उपभोक्ताओं की पत्रावलियों में एससीओ आदेश बिना पैसे दिये एईएन साहब द्वारा नहीं करने का कहते हुए श्री चेतन शर्मा एईएन व श्री कपील जेईएन को प्रत्येक पत्रावली के 1000 रूपये देने एवं अपने स्वयं के लिए 500 रूपये प्रति पत्रावली होना एवं तीनों पत्रावलियों के 1000 रूपये लेने हेतु सहमत होने की वार्ता करना तथा लाईनमैन को मौके पर उनके हिस्से की राशि देने की वार्ता की तथा उक्त राशि श्री फूलसिंह स्टोर कीपर को देने हेतु कहा गया है। उक्त वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॅार्ड है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर का स्वीच ऑन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री भैराराम द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की ताईद होकर श्री जितेन्द्र सीसी बाबू द्वारा अपने स्वयं तथा एईएन, जेईएन लाईनमैन तथा स्टोर कीपर श्री फूलसिंह के लिए रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई। मगर संबंधित सहायक अभियंता श्री चेतन शर्मा एवं कनिश्ठ अभियंता श्री कपील से स्पषट रिश्वत राशि मांग वार्ता नहीं होने के कारण उक्त एईएन एवं जेईएन से आईन्दा कल दिनांक 02.10.2025 को राजकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 03.10.2025 को स्पश्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाये जाने का निर्णय लिया गया एवं उसी रोज दिनांक 03.10.2025 को बाद मांग सत्यापन वार्ता के ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लेकर परिवादी को आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3500 रूपये की व्यवस्था कर, साथ लाने की आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गया। डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की जायेगी। डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के मन निरीक्षक पुलिस ने सुरक्षा की दृश्टि से अपने पास सुरक्षित अलमारी में रखकर लाक किया गया। वक्त 03:00 पी.एम. पर अग्रीम संभावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 02.10.2025 को राजकीय अवकाश होने एवं दिनांक 03.10.2025 को गवाहान की आवश्यकता होने के कारण अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाग प्रथम जोधपुर को दो कार्मिक स्वंतत्र गवाहान भिजवाने बाबत कार्यालय के पत्र क्रमांक 1939 दिनांक 01.10.2025 के जरिये तेहरीर जारी कर श्री गणेश राम कानि. 219 को गवाहान लाने हेतु रवाना किया गया। वक्त 04:00 पी.एम.पर उपरोक्तानुसार गया हुआ श्री गणेष राम कानि. 219 मय दो कार्मिक के कार्यालय हाजा उपस्थित आया। उपस्थित आये दोनों कार्मिको मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होनें बारी-बारी अपना परिचय सर्वश्री श्री जगदीश नारायण व्यास पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण आयु 54 साल निवासी चोपासनी गांव नियर मरूगढ जोधपुर हाल वरिश्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर 9950521068 एवं दूसरे कार्मिक ने अपना नाम सुरज सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र सिह जाति रावणा राजपूत उम्र 27 वर्ष निवासी लक्ष्मीनगर पावटा सी रोड़ जोधपुर हाल वरिश्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर 8209844364 होना बताया गया। जिस पर आगामी प्रस्तावित ट्रेप को मध्य नजर रखते हुए दोनों कार्मिको को दिनांक 03.10.2025 को कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रूखसत किया गया। दिनांक 03.10.2025 को वक्त 10:25 ए.एम.पर पूर्व से पाबंद षुदा परिवादी भैराराम मन निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया तथा जिस पर कानि प्रकाश को कार्यालय कक्ष मे तलब कर मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित अलमारी मे रखा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड निकालकर कानि प्रकाश को सुपुर्द कर आवष्यक हिदायत के साथ परिवादी की निजी मोटरसाईकल से शेष रहे अधिकारियो/कर्मचारियों से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर लाने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर डिस्काम जोधपुर के लिए रवाना किया गया। वक्त 10:30 ए.एम.पर पूर्व से पाबंद शुदा श्री जगदीश नारायण व्यास वरिश्ठ सहायक एवं श्री सुरज सिंह वरिश्ठ सहायक कार्यालय हाजा उपस्थित आये जिन्हे आवश्यक दिशा-निर्देश देकर मुकिम कार्यालय किया गया। वक्त 11:55 ए.एम. पर श्री प्रकाश कानि. हमरा परिवादी श्री भैराराम के कार्यालय उपस्थित आया तथा प्रकाश कानि ने डिजिटल वाइस रिकार्डर स्वीच आफ शुदा मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। परिवादी ने बताया कि मैं व कानि श्री प्रकाश मेरी निजी मोटरसाईकल से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय सहायंक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर डिस्काम जोधपुर के

पास पहुचे, जंहा पर कानि प्रकाश ने डिजिटल वाइस रिकाडर स्वीच आन कर मुझे सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता के लिए रवाना किया तथा प्रकाश कानि अपनी उपस्थिति छुपाते हुवे कार्यालय के आसपास मुकिम रहे। मैं वहां से रवाना होकर एईएन कार्यालय कक्ष में पंहुचा जहां पर श्री चेतन शर्मा एईएन उपस्थित मिले, जिनसे मैने मेरे तीनों उपभोक्ताओ के सर्विस कनेक्षन आदेश (एससीओ) के बारे में पूनः पूछा तो उन्होने संबंधित बाबू श्री जितेन्द्र बाबू से मिलने को कहा जिस पर मैं श्री चेतन शर्मा एईएन के बताये अनुसार सीसी ब्रान्च में जाकर श्री जितेन्द्र बाबू जी से पुनः मिला तो जिन्होने मेरे तीनों उपभोक्ताओं की पत्रावलियों में एससीओ आदेश बिना पैसे दिये एईएन साहब द्वारा नहीं करने का कहते हुए श्री चेतन शर्मा एईएन व श्री कपील जेईएन को प्रत्येक पत्रावली के 1000 रूपये देने एवं अपने स्वयं के लिए 500 रूपये प्रति पत्रावली होना एवं तीनों पत्रावलियों के 1000 रूपये लेने हेतु सहमत होने की वार्ता करना तथा लाईनमैन को मौके पर उनके हिस्से की राशि देने की वार्ता की तथा उक्त राशि श्री फूलसिंह स्टोर कीपर को देने हेतु कहा गया है। उक्त वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॅार्ड है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर का स्वीच आन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री भैराराम द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की ताईद होकर श्री जितेन्द्र सीसी बाबू द्वारा अपने स्वयं तथा एईएन, जेईएन लाईनमैन तथा स्टोर कीपर श्री फूलसिंह के लिए रिश्वत राशि मांगने की पुश्टि हुई। मगर संबंधित सहायक अभियंता श्री चेतन शर्मा एवं कनिश्ठ अभियंता श्री कपील से स्पश्ट रिश्वत राशि मांग वार्ता नहीं होने के कारण उक्त एईएन एवं जेईएन से आईन्दा स्पश्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाये जाने का निर्णय लिया गया। डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब करने का निर्णय लिया गया। वक्त 01:05 पी.एम. पर पूर्व से ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के दोनों कार्मिक श्री जगदीश नारायण व्यास पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण आयु 54 साल निवासी चैपासनी गांव नियर मरूगढ जोधपुर हाल वरिश्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड जोधपुर एवं श्री सुरज सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र सिह जाति रावणा राजपूत उम्र 27 वर्ष निवासी लक्ष्मीनगर पावटा सी रोड़ जोधपुर हाल वरिश्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड जोधपुर को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपस्थित परिवादी श्री भैराराम व दोनों कार्मिकों का आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी श्री भैराराम द्वारा दिनाक 19.09.2025 को हस्तलिखित शिकायत को दोनों कार्मिकों को पढाया गया एवं अब तक हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वाताएं जो ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है के मुख्य-मुख्य अंश दोनों कार्मिकों को सुनवाये गये। दोनों कार्मिकों द्वारा परिवादी से आवष्यक पूछताछ कर अग्रीम ट्रेप में मौखिक सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये गये। ताबाद उक्त डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड जिसमें रिश्वत राशि मांग सत्यापन वाताएं रिकार्ड है को डीवीआर से निकालकर एक सफेद लिफाफे में डालकर लिफाफे को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृश्टि से सुरक्षित अलमारी में रखा जाकर लॉक किया गया। वक्त 03:05 पी.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के रू-ब-रू परिवादी श्री भैराराम पुत्र श्री देवाराम जाति जाट उम्र 52 वर्श निवासी प्लाट नम्बर 117 रतन मुनि नगर सांगरिया जोधपुर द्वारा आरोपी श्री फूलसिंह स्टोर कीपर कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर डिस्काम जोधपुर को अपने स्वयं एवं जोधपुर डिस्काम के अन्य कर्मचारी/अधिकारियों के लिए दी जाने वाली रिश्वत राशि मन मनीष चोधरी निरीक्षक पुलिस के समक्ष पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री भैराराम ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 07 नोट कुल राषि 3,500/-रूपये पेष किये। परिवादी श्री भैराराम द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर निम्नानुसार है -500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 KG686217,500 रूपये का एक नोट नम्बर 8WS282490,500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 BC292535,500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 PB997139,500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 CE 405377,500 रूपये का एक नोट नम्बर 7UC984703,500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 MA387583 श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 3,500/- रूपये के नोटो को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 को सुपुर्द कर उक्त नोटों को अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री भैराराम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुरजसिंह से लिवाई जाकर मोबाईल फोन एवं परिवादी की निजी मोटरसाईकिल की चाबी को उनके पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 3,500/-रूपये जो श्री फूलसिंह स्टोर कीपर कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 जोधपुर डिस्काम जोधपुर को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री भैराराम के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 07 नोट कुल राशि 3,500/-रूपये को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री भैराराम को हिदायत दी गई कि इस रिश्वत राशि को रास्ते में छुए नहीं एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वत राशि पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेरकर या मन् मनीष चैधरी निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो एसयू जोधपुर के मोबाईल नं. 9414849690 पर मिस काल या काल कर रिश्वत राशि आदान-प्रदान होने का गोपनीय ईशारा करें। तत्पष्चात् एक नये प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने

वाली महिला कानि. श्रीमती सुशीला के हाथों के अगूठे एवं अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोलफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास एव जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार एव प्लास्टिक की गिलास को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से ही जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादी श्री भैराराम को छोड.कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने-अपने विभागीय परिचय-पत्र एवं अपने-अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा खर्चे के 2,000 रूपये अपने पास रखे। फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बंधित को पढाई जाकर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल से विडियोग्राफी करवाई गई। वक्त 04:05 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में एक नया मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिष्चित कर नये मैमोरी कार्ड को डीवीआर में डालकर हमरा दोनों मौतबिरान सर्वश्री जगदीष नारायण व्यास, वरिश्ठ सहायक, सुरजसिंह वरिश्ठ सहायक परिवादी श्री भैराराम, श्रीमान ओमप्रकाश चोधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस, एवं ब्यूरो जाब्ता श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री अचलाराम हैड कानि. 67, श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89, श्री प्रकाश कानि. 265, श्री कालूराम कानि. 246, श्री गणेषकुमार कानि. 219 ट्रेप बाक्स, डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर, अलग-अलग दो निजी वाहन एवं सरकारी वाहन आरजे 14 यूएल 5788 मय चालक कानि. श्री खम्माराम नम्बर 356 एवं परिवादी की निजी मोटरसाईकिल के एसीबी कार्यालय स्पेशल यूनिट जोधपुर से कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर डिस्काम जोधपुर की तरफ रवाना हुए। वक्त 04:23 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस रवाना शुदा कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 के पास पहुचें जहां पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अलग-अलग गाडियों में बैठे जाब्ते को ब्रीफ किया गया एवं स्वयं द्वारा एसओ श्री चेतन शर्मा एईएन की लाकेशन ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त कर एसओ एईएन को दस्तयाब करने के लिए एसओ की लाकेशन की तरफ मय ब्यूरो जाब्ता श्री देवाराम कानि. 373, श्री गणेश राम कानि. 219 के अपने निजी वाहन से रवाना हुए एवं मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मौतबिरान के वक्त 04:24 पी.एम. पर परिवादी श्री भैराराम का मोबाईल नम्बर 8619861787 का स्पीकर आन करवाकर एसओ श्री फूलसिंह के मोबाईल नम्बर 8290545561 पर काल करवाकर वार्ता करने हेतु दो बार प्रयास किया गया मगर एसओ द्वारा अपना फोन अटैड नहीं किया गया। जिस पर वहीं रूककर एसओ श्री फूलसिंह के मोबाईल फोन के काल का ईन्तजार में व्यस्थ हुआ। वक्त 04:50 पी.एम. पर आरोपी श्री फूलसिंह वाहन चालक का काल नहीं आने पर रिष्वत राषि लेन-देन करवाने के लिए मन निरीक्षक पुलिस ने श्री प्रकाष कानि. 265 एवं परिवादी श्री भैराराम को आवष्यक हिदायत के साथ परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर डिस्काम जोधपुर के लिए रवाना किया गया एवं सरकारी वाहन मय चालक कानि. 356 श्री खम्माराम के श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस हमरा ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि., श्रीमती मधुमति हैड कानि. श्री मेघराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस के पीछे-पीछे कुछ दूरी बनाकर आने हेतु बताया जाकर मन निरीक्षक पुलिस हमरा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता श्री रामकिषोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री कालूराम कानि. 219 के परिवादी के पीछे-पीछे कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 की तरफ रवाना होकर कार्यालय के पास पहुचे। वक्त 05:00 पी.एम. पर परिवादी श्री भैराराम मय अपने निजी मोटरसाईकिल के उपस्थित है जिन्हें पूर्व में बताये गोपनीय ईशारे से अवगत कराकर आवष्यक हिदायत के साथ डिजिटल वाईस रिकार्डर को आन कर सुपुर्द किया गया एसओ श्री फूलसिंह से रिश्वत राशि लेन-देन करने हेतु पैदल ही एईएन कार्यालय ए-7 के लिए रवाना किया गया तथा श्री प्रकाष कानि. 265 को भी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी पर गोपनीय रूप से नजर रखने की आवष्यक हिदयात देकर परिवादी के पीछे रवाना किया एवं मन निरीक्षक पुलिस तथा श्री गोधनराम उप अधीक्षक पुलिस अपने-अपने हमरायान के वाहनों में बैठकर ही परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंन्तजार में व्यस्थ हुआ। वक्त 05:10 पी.एम.पर परिवादी श्री भैराराम बिना कोई गोपनीय ईषारे किये पुनः उपस्थित आया एवं डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया जिसका स्वीच आफ कर सुरक्षा की दृश्टि से अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया किया कि मैं एईएन कार्यालय में गया जहां पर सीढियों में ही श्री फूलसिंह स्टोर कीपर मुझे मिला तथा आज बारीश हो जाने के कारण कार्यालय में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी-अपनी सकुनत के लिए निकल जाने के कारण उनके लिए ली जाने वाली रिश्वत राशि को आगामी दो दिन अवकाश के दौरान अपने पास रखने की मजबूरी बताते हुए रिश्वत राशि आईन्दा अपने व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी के लिए लेने की बात कही तथा आज राशि लेने का इनकार किया है। जिस पर परिवादी व श्री प्रकाश

कानि. को परिवादी के निजी मोटरसाईकिल के कार्यालय के लिए रवाना कर मन निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के निजी एवं सरकारी वाहन के कार्यालय के लिए रवाना हुआ एवं समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये फोन निवेदन किये गये। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी शिघ्र कार्यालय पहुचंने के निर्देश फरमाये गये। वक्त 05:40 पी.एम.पर उपरोक्तानुसार रवाना शुदा मन निरीक्षक पुलिस समस्त हमारयान एवं ट्रेप बाक्स, डीवीआर मय मैमोरी कार्ड, लेपटाप, प्रिन्टर ट्रेप सामग्री के निजी एवं सरकारी वाहन मय चालक के कार्यालय एसीबी एसयू जोधपुर पहुचां जहां पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपस्थित मिले। जिन्हें समस्त हालात निवेदन किये गये। इसी दरम्यिान परिवादी श्री भैराराम व श्री प्रकाश कानि. कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री भैराराम से मन निरीक्षक पुलिस द्वारा विस्तृत पूछताछ करने पर पूर्व में बताये गये तथ्य ही बताते हुए बताया कि एसओ श्री फूलसिंह द्वारा आज राशि प्राप्त नहीं कर आईन्दा देने की बात कही जिस पर मेरे द्वारा रामदेवरा पैदल जाने एवं पैदल यात्रा में समय लगने की बात कहने पर एसओ ने कहा कि कल दिनांक 04.10.2025 को मैं आपके उपभोक्ता श्रीमती खूशबू भास्कर एवं श्री सुमेरसिंह के मीटर लगवाकर आपके वाट्सअप पर फोटो भेज दूगां तब आप उक्त राशि 3500 रूपये मुझे फोन -पे कर देना। गवाह श्री सुरजसिंह वरिश्ठ सहायक से परिवादी श्री भैराराम के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखी रिश्वत राशि 3500 रूपये को बाहर निकलवा कर एक सफेद लिफाफे में डालकर सुरक्षा की दृश्टि से मन निरीक्षक पुलिस की अलमारी में सुरिक्षत रखा गया एवं वक्त रिश्वत राशि लेन-देन पूर्व एसओ श्री फूलसिंह एवं परिवादी श्री भैराराम के बीच हुई आज वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है को रूबरू गवाहान सुना गया तो रिकार्ड वार्ता से परिवादी के बताये तथ्यों की ताईद हुई जिस पर परिवादी द्वारा बताये तथ्यों रिकार्ड वार्ता के अनुसार कल दिनांक 04.10.2025 को जरिये फोन-पे रिश्वत राशि का लेन-देन होने की सम्भावना होने के कारण परिवादी, गवाहान एवं जाब्ते को कल दिनांक 04.10.2025 को प्रातः 09:30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद कर गवाहान को आवष्यक हिदायत के रूखसत किया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब करने का निर्णय लिया जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षा की दृश्टि से मन निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित अलमारी में रखा जाकर अलमारी को लाक किया जाकर चाबी अपने पास सुरक्षित रखी गई। दिनाक 04.10.2025 को वक्त 09:30 ए.एम. पर पूर्व से पाबंद शुदा परिवादी श्री भैराराम व गवाहान श्री जगदीष नारायण व्यास, वरिश्ठ सहायक एवं श्री सुरजसिंह वरिश्ठ सहायक कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। परिवादी श्री भैराराम से एसओ को रिश्वत राशि आदान-प्रदान फोन-पे से करने के बारे में पूछने पर परिवादी श्री भैराराम ने बताया कि मेरे निजी खाता नम्बर 18720100001394 बैंक आफ बड़ौदा शाखा बासनी जोधपुर से मेरे मोबाईल नम्बर 8619861787 जुड़वा रखा है उक्त मोबाईल नम्बर से फोन-पे करने की व्यवस्था है तथा एसओ फूलसिंह स्टोर कीपर द्वारा बताये अनुसार मेरे पेडिंग कार्य उपभोक्ता श्रीमती खूशबू भास्कर एवं श्री सुमेर सिंह के मीटर लगवाकर उक्त मीटरो की फोटो खींचकर मेरे मोबाईल पर वाट्सअप करने पर श्री फूलसिंह द्वारा एक पत्रावली में एससीओ आदेश करवाकर मीटर लगवाने की एवज में अपने व अधिकारी व कर्मचारी के लिए मांगी गई रिश्वत राशि मैं उन्हें फोन-पे कर दूगां। जिस पर एसओ द्वारा यदि रिश्वत राशि पुनः फोन-पे पर करने हेतु कहा गया तो रिश्वत राशि का आदान-प्रदान करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री भैराराम को हिदायत किया गया जब भी आपके फोन पर एसओ का फोन आये या आपका पेडिंग कार्य मीटर लगाकर फोटो खिचंकर वाट्सअप करे तो तुरंत मन निरीक्षक पुलिस को अवगत करावें तथा आप कार्यालय में उपस्थित रहेगें मेरी अनुमति के बगैर कार्यालय नहीं छोडेगें एवं एसओ फूलसिंह के फोन एवं वाट्सअप मैसेज के ईन्तजार में व्यस्त हुए। वक्त 10:15 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री भैराराम एवं उपस्थित दोनों मौतबिरान श्री जगदीष नारायण व्यास, वरिश्ठ सहायक एवं श्री सुरजसिंह वरिश्ठ सहायक के रूबरू वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 19.09.2025 को एसओ श्री चेतन शर्मा सहायक अभियंता, एसओ श्री फूलसिंह स्टोर कीपर एवं परिवादी के मध्य हुई रूबरू दो वार्ताऐं, दिनांक 23.09.2025 को परिवादी श्री भैराराम व एसओं श्री चेतन शर्मा सहायक अभियंता व एसओ श्री फूलसिंह स्टोर कीपर के मध्य हुई रूबरू वार्ता, दिनांक 01.10.2025 को परिवादी श्री भैराराम व एसओ श्री जितेन्द्र सीसी बाबू के मध्य हुई रूबरू वार्ता, दिनांक 03.10.2025 को परिवादी श्री भैराराम व एसओ श्री चेतन षर्मा सहायक अभियंता, एसओ श्री जितेन्द्र सीसी बाबू एवं एसओ श्री फूलसिंह स्टोर कीपर के मध्य हुई रूबरू वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई उक्त मैमोरी को कार्ड को पूर्व में डिजिटल वाईस रिकार्डर से निकालकर एक सफेद लिफाफे में डालकर अलमारी में सुरक्षित रखा हुआ हैं उक्त लिफाफे को बाहर निकालकर उसमें रखे मैमोरी कार्ड को बाहर निकलवाया गया एवं उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय के अन्य डीवीआर में डालकर, उक्त डीवीआर को कार्यालय के लेपटाप से जोड़कर मन निरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री गणेष राम कानि. 219 से मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओं को लेपटाप के इनबिल्ड स्पीकर से क्रमवार सुन-सुन एवं समझ-समझ कर हूबहू वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन मूर्तिब की गई। रिकार्ड वार्ताओं में एक आवाज परिवादी भैराराम ने स्वयं एवं दूसरी आवाज क्रमषः आरोपी श्री चेतन षर्मा सहायक अभियता, आरोपी श्री फूलसिंह स्टोर कीपर, आरोपी श्री जितेन्द्र सीसी बाबू की होने की पहचान की गई। उक्त मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओं को चार अलग-अलग पेन ड्राईव में सेव की गई। मैमोरी कार्ड को मूल मानते हुए एक कपड़े की थैली में शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त चारों पेन ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया। उक्त मूल मैमोरी कार्ड

Ly

के कपडे की थैली का शील्ड शुदा पैकेट एवं चार डब पेन ड्राईव मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 67 को सम्भलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। वक्त 06:00 पी.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा हमरा मौतबिरान एंव कार्यालय में उपस्थित रहकर आरोपी श्री फूलसिंह के फोन एवं वाट्सअप मैसेज आने का ईतजार किया मगर श्री फूलसिंह का अब तक काल या वाट्सअप मैसेज नहीं आने पर दोनों गवाहान को बिना ईजाजत मुख्यालय नहीं छोड़ने एवं फोन करने पर तुरन्त कार्यालय में आने की हिदायत कर रूखसत किया गया साथ ही परिवादी श्री भैराराम को निर्देशित किया गया जब भी आरोपी श्री फूलसिहं का काल या वाटसअप मैसेज आये जो तुरन्त मन निरीक्षक पुलिस को अवगत करवाकर कार्यालय उपस्थित आवें। ताबाद परिवादी श्री भैराराम व दोनों गवाहान को कार्यालय से गोपनीयता की हिदायत के साथ रूखसत किया गया। दिनंक 07.10.2025 को वक्त 09:30 ए.एम. पर परिवादी भैराराम के बताये अनुसार एवं दिनांक 03.10.2025 को परिवादी श्री भैराराम व आरोपी श्री फूलसिंह के मध्य लेन-देन से पूर्व हुई वार्ता के अनुसार फूलसिंह द्वारा परिवादी श्री भैराराम को आज रिश्वत राशि लेकर बुलाने के कारण अग्रीम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने हेतु जरिये फोन परिवादी श्री भैराराम व दोनों स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गई। वक्त 10:00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री सुरज सिंह, श्री जगदीश नारायण व्यास एवं परिवादी श्री भेराराम कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री चेतन षर्मा एईएन, श्री जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक एवं श्री फूलसिंह चालक के फोन नम्बर ब्यूरो मुख्यालय को उपलब्ध करवाकर लोकेशन निकलवाई गई जो श्री जितेन्द्रसिंह के अलावा श्री चेतन शर्मा एईएन, श्री फूलसिंह चालक की लोकेशन कार्यालय से बाहर होने पर उक्त दोनों आरोपीगण की उपस्थिति कार्यालय में आने के ईतजार में चैकी पर मुकिम रहे। वक्त 02:00 पी.एम.पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री चेतन शर्मा एईएन, श्री जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक एवं श्री फूलसिंह चालक के फोन नम्बर ब्यूरो मुख्यालय को उपलब्ध करवाकर पुनः लोकेशन निकलवाई गई तीनो की लोकेशन एईएन कार्यालय में उपस्थित होना आई। जिस पर अग्रीम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री भैराराम की जामा तलाषी गवाह श्री सुरजसिंह से लिरवाई जाकर उनके पास में उनका मोबाईल एवं मोटरसाईकिल की चाबी के अलावा कोई राशि, वस्तु, दस्तावेज नहीं रहने दी गई। तत्पष्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अलमारी का लॉक खुलवाकर रिश्वत राशि का एक सफेद लिफाफा महिला कानि. श्रीमती सुशिला से रूबरू गवाहान बाहर निकलवाया गया तथा महिला कानि. से ही नोटों को पुनः गिनवाकर उपर नीचे करवाकर उपस्थित परिवादी श्री भैराराम को आवष्यक हिदायत देकर उनकी पहनी हुई जिन्स पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखवाई गई। जिस लिफाफे मे रिश्वत राशि रखी गई थी उस लिफाफे को जलाकर नस्ट करवाया जाकर महिला कानि. श्रीमती सुशिला को ट्रेप कार्यवाही से पृथक किया गया। वक्त 02::33 पी.एम. पर मन् मनीष चैधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाहान श्री सुरज सिंह, श्री जगदीश नारायण व्यास, व श्री भेराराम परिवादी, ब्यूरो जाब्ता श्री गोरधन राम उप अधीक्षक पुलिस, श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री अचलाराम हैड कानि, श्रीमती मधुमति हैड कानि. श्री प्रकाष कानि., श्री गणेश कुमार कानि, श्री कालूराम कानि. एवं सुपरविजन हेतु श्रीमान ओमप्रकाश चैधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर एवं ट्रेप बाक्स, लेपटाप, प्रिन्टर, डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व अन्य ट्रेप सामग्री साथ लेकर सरकारी वाहन बालेरो एवं परिवादी श्री भेराराम की निजी मोटरसाईकिल, एवं ब्यूरो स्टाफ के निजी वाहन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर की तरफ रवाना हुवे। वक्त 02:55 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमारायान के जरिये वाहनो के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा एईएन कार्यालय से थोडा पहले पहुचे जहा पर एकान्त में वाहनो को सुरक्षित रोड के एक तरफ किनारे पर खड़े करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपीगण की उपस्थिति के बारे मे परिवादी को पुनः मालुमात करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री भैराराम ने अपने स्तर पर गोपनीय रूप से मालूम कर बताया की आरोपी श्री फूलसिह घण्टे डेढ घण्टे बाद अपने कार्यालय में आयेगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमारायान के आरोपी श्री फूलसिह के अपने कार्यालय में आने के ईन्तजार में मुकिम हुए। वक्त 04:15 पी.एम.पर मन् निरीक्षक पुलिस को परिवादी श्री भैराराम अपने स्तर पर गोपनीय रूप से मालुम कर बताया कि आरोपी श्री फूलसिह अपने कार्यालय में उपस्थित हैं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री भैराराम एवं श्री प्रकाश कानि. को कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर के पास कार्यालय से थोड़ा पहले गोपनीय स्थान पर मिलने की हिदायत कर परिवादी श्री भैराराम एवं श्री प्रकाश कानि. को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-7 जोधपुर डिस्काम जोधपुर आरटीओ के पास जोधपुर की तरफ रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन् निरीक्षक पुलिस हमरायान के जरिये सरकारी व निजी वाहन से कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-7 जोधपुर डिस्काम जोधपुर आरटीओ आफिस के पास जोधपुर के लिए रवाना हुऐ। श्रीमान ओमप्रकाश चोधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर सुपरविजन हेतु स्वयं के निजी वाहन के उक्त स्थान पर मुकिम रहे। वक्त 04:24 पी.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस हमरायान के कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-7 जोधपुर डिस्काम जोधपुर से थोड़ा पहले पहुच दोनों वाहनों को रोड़ के किनारे एक तरफ गोपनीय स्थान पर खड़ा करवाया गया। जहां पर पूर्व से पाबन्दा शुदा परिवादी श्री भैराराम एवं श्री प्रकाश कानि. परिवादी की निजी मोटरसाईकिल के उपस्थित मिले। जिस

पर परिवादी को रिश्वत राशि लेन-देन के पश्चात गोपनीय ईशारा करने की पुनः आवश्यक समझाईस कर कार्यालय से साथ लाया डिजिटल वाइस रिकार्डर में मय मैमोरी कार्ड को आन कर, परिवादी श्री भैराराम को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत के आरोपीगण से रिश्वत राशि आदान-प्रदान करने के लिए परिवादी को कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-7 जोधपुर डिस्काम जोधपुर को रवाना किया गया एवं प्रकाश कानि को परिवादी के पिछे आवश्यक दुरी बनाकर उन पर गोपनिय नजर रखने के लिए पैदल रवाना किया गया। मन निरीक्षक पुलिस एवं समस्त हमरान ने कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-7 जोधपुर डिस्काम जोधपुर के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुवे पौजिशन लेकर परिवादी के गोपनीय इशारे के इंजतार मे व्यस्त हुवे। वक्त 05:05 पी.एम.पर रूबरू उपरोक्त मौतबिरान के परिवादी श्री भैराराम पुत्र श्री देवाराम जाति जाट उम्र 52 वर्श निवासी प्लाट नम्बर 117 रतन मूनि नगर सांगरिया जोधपुर ने कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर के भवन के बाहर खड़े रहकर पूर्व से निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो तीन बार आगे पीछे हाथ फेरकर करने पर मन मनीश चैधरी निरीक्षक पुलिस हमरा उपरोक्त दोनों मौतबिरान एवं ब्यूरो जाप्ता के कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर डिस्काम जोधपुर के परिसर में भवन के सामने पहुचां जहां पर परिवादी श्री भैराराम उपस्थित मिला जिनसे पूर्व में सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीचआफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री भैराराम ने पास ही खड़े एक टी-शर्ट एवं काले रंग की पेन्ट पहने हुए व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री फूलसिंह स्टोर कीपर/वाहन चालक है जिन्होनें मेरे से अभी-अभी सहायक अभियंता श्री चेतन षर्मा, कनिश्ठ अभियंता श्री कपील जी और श्री जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक एवं अपने स्वयं के लिए तथा लाईमैन के लिए मेरे सोलर प्लान्ट के तीन पत्रावलियों के एससीओ आदेश (सर्विस कनेक्षन आदेष) करने एवं सोलर कनेक्षन करने की एवज में 3500/-रूपये बतौर रिश्वत मांगकर प्राप्त किये है, जो राशि इन्होनें अभी-अभी गिनकर अपनी पहनी हुए पेन्ट की आगे की बायीं जेब रखी है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस हमरा दोनों मौतबिरान एवं ब्यूरो जाब्ता का सामने खड़े व्यक्ति को परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम फूलसिंह पुत्र श्री श्यामलाल जाति राजपूत उम्र 40 वर्ष निवासी प्लाट नम्बर 03 दधिमती नगर, भदवासिया जोधपुर हाल कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर में ठेके पर संचालित वाहन संख्या आरजे 19 टीबी 0413 का चालक होना बताया जिस पर श्री फूलसिंह से पास में ही खड़े परिवादी की ओर ईषारा कर पूछा गया कि क्या आप इसे जानते है? तथा अभी-अभी इनसे कोई राशि प्राप्त की है जिस पर श्री फूलसिंह चुप रहने के पष्चात बताया कि हां मैं इन्हे जानता हूं। यह भैराराम जी है, इन्होनें सहायक अभियंता के कार्यालय में सोलर प्लांट लगाने के लिए तीन पत्रावलियां लगा रखी है तथा श्री चेतन षर्मा एईएन के कहेनुसार मैनें इनसे अभी-अभी 3500/-रूपये श्री चेतन षर्मा एईएन, श्री कपील बामिल जेईएन, श्री जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक, और अपने स्वयं के लिए तथा लाईनमैन के लिए, राषि प्राप्त की है जो मैनें गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की बायीं जेब में रखे है। साथ फूलसिंह ने घबराते हुए कहा कि साहब गलती हो गई है एईएन साहब एवं जितेन्द्र जी के लिए भैराराम जी से राषि प्राप्त की है। जिस पर श्री फूलसिंह को हमरा मौतबिरान साथ लेकर बाहर ही खडे सरकारी वाहन में पहुचा एवं श्री फूलसिंह को तसल्ली देकर श्री चेतन षर्मा एईएन से परिवादी श्री भैराराम से राषि प्राप्त होने के संबंध में उनके मोबाईल नम्बर 8290545561 का स्पीकर आन करवाकर श्री चेतन षर्मा सहायक अभियंता के मोबाईल नम्बर 9928343097 पर कॉल करवाया जाकर वार्ता करवाई गई। वार्ता के दौरान श्री फूलसिंह द्वारा श्री चेतन शर्मा सहायक अभियंता से कहा गया कि साहब वो दो फाईलें रखी है ना, जिन पर साईन कर दो, जिस पर श्री चेतन शर्मा सहायक अभियंता, द्वारा कहा गया कि हां करता हूं। श्री फूलसिंह द्वारा पैसे प्राप्त होने की बात कही गई मगर उससे पहले कोई जवाब नहीं देकर श्री चेतन शर्मा एईएन द्वारा फोन डिसकनेक्ट कर दिया गया। उक्त वार्ता कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे सेल का पावर कम हो जाने से रिकार्डर चालू नहीं होकर बंद हो गया। जिसके कारण वार्ता डीवीआर में रिकार्ड नहीं हो सकी। मगर श्री फूलसिंह के मोबाईल का अवलोकन करने पर उक्त मोबाईल में वार्ता का आटों रिकार्ड करने का आफषन आन कर रखा था जिस कारण उक्त वार्ता फूलसिंह के फोन में रिकार्ड हो चुकी हैं जो आईन्दा उक्त मोबाईल को रूबरू मौतबिरान जब्त कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पष्चात जरिये फोन श्रीमान ओमप्रकाष अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अन्य जाब्ते के साथ कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निवेदन किया गया एवं मन निरीक्षक पुलिस हमरा मौतबिरान एवं श्री फूलसिंह चालक को साथ लेकर श्री चेतन शर्मा एईएन के कार्यालय कक्ष में पहुचां। इसी दरम्यिान श्रीमान ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ते के उपस्थित आये। सहायक अभियंता कक्ष में ही सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर परिवादी श्री भैराराम ने ईशारा कर बताया कि यही श्री चेतन शर्मा एईएन है जिस पर सामने बैठे व्यक्ति को मन निरीक्षक पुलिस हमरा मौतबिरान जाब्ता श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछने पर

उसने अपना नाम चेतन शर्मा पुत्र श्री उम्मेदाराम जी शर्मा उम्र 39 वर्ष निवासी मकान नम्बर 6 बी राजीव नगर तीसरी पोल के बाहर महामंदिर जोधपुर हाल सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर होना बताया। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आने के मन्तव्य से श्री चेतन शर्मा एईएन को बता कर उनसे आवष्यक पूछताछ कर मन निरीक्षक पुलिस को अग्रीम आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषशित फरमाया गया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री चेतन षर्मा एईएन से परिवादी श्री भैराराम व श्री फूलसिंह की ओर ईषारा कर पूछा गया कि क्या आप इन दोनों व्यक्तियों को जानते हो, तो पहले श्री चेतन शर्मा ने कहा कि मैं फूलसिंह को जानता हूं यह मेरा वाहन चालक है तथा पास खड़ा व्यक्ति कौन है मैं इसे नहीं जानता हूं तथा कुछ समय पष्चात रूककर कहा कि हां मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ यह भैराराम है जो थोड़ी देर पहले अपनी पत्रावलियों के बारे में मेरे से मिला था। जिस पर श्री चेतन शर्मा से पूछा गया कि आपने श्री भैराराम को कोई राशि फूलसिंह को देने हेतु कहा गया था, जिस पर श्री चेतन शर्मा ने कहा कि मैनें भैराराम को फूलसिंह या अन्य किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की राशि देने हेतु नहीं कहा गया है। जिस पर श्री चेतन शर्मा एईएन से श्री जितेन्द्र वाणिज्यिक सहायक एवं कपील बामिल कनिश्ठ अभियंता के बारे में पूछने पर उन्होनें बताया कि श्री जितेन्द्र सिंह प्रथम तल पर बने अपने कार्यालय कक्ष में बैठे है तथा श्री कपील बामिल कनिश्ठ अभियंता सामने स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बैठे है। जिस पर उपस्थित जाब्ते से श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री कपील बामिल को दस्तयाब करवाया गया एवं उन्हें मन निरीक्षक पुलिस हमरा दोनों मौतबिरान एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर उनसे बारी-बारी उनका परिचय पूछने पर उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत उम्र 42 वर्श पेषा नौकरी निवासी गली नम्बर 08 प्लाट नम्बर 627 हनुवंत ए बीजेएस जोधपुर हाल वाणिज्यिक सहायक कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर होना बताया। तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम कपील बामिल पुत्र श्री मुकेष बामिल जाति जाट उम्र 27 वर्श पेशा नौकरी निवासी गांव बलराई पोस्ट बरारी जिला मथुरा उतरप्रदेष हाल कनिश्ठ अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ षिकारी बेरा जोधपुर डिस्काम जोधपुर होना बताया गया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा पास ही खडे परिवादी श्री भैराराम की तरफ ईशारा कर श्री जितेन्द्र सिह वाणिज्यिक सहायक से पूछा गया कि क्या आप इनको जानते है? तथा इनका कोई कार्य आपके पास विचाराधीन है तथा उक्त कार्य करने की एवज में आपने कोई राशि अपने लिए या अधिकारी के लिए मांग की है? या किसी को दिलवाई है? जिस पर श्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि हां, मैं इन्हें जानता हूं ये श्री भैराराम जी वेन्डर है जिन्होनें उपभोक्ता श्रीमती खूषबू भास्कर, श्री सुमेरसिंह व श्री ओमप्रकाश के सोलर प्लांट के मीटर लगाने की तीन पत्रावलियां हमारे कार्यालय में लगा रखी है जिसमें से एक पत्रावली श्री सुमेरसिंह की आज जब ये मेरे पास आये तब मैने इनको पत्रावली देकर श्री चेतन शर्मा एईएन साहब के पास हस्ताक्षर करवाने के लिए भेजा था, जो पत्रावलियां श्री चेतन शर्मा एईएन साहब के पास है तथा दो पत्रावलियां श्री ओमप्रकाष एवं श्रीमती खूषबू भास्कर की मेरे कार्यालय कक्ष में रखी है जिनमें से श्रीमती खूषबू भास्कर की पत्रावली में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पर श्री चेतन षर्मा सहायक अभियंता के अनुमोदनार्थ दिनांक 23.09.2025 के हस्ताक्षर हो रखे है तथा ओमप्रकाश की पत्रावली में अनुमोदनार्थ हस्ताक्षर होना पेश है। इस प्रकार श्री भैराराम द्वारा प्रस्तुत तीन पत्रावलियों में से दो पत्रावलियों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पर श्री चेतन षर्मा सहायक अभियंता के अनुमोदनार्थ हस्ताक्षर होने पेश है। तथा मैनें श्री भैराराम से अपने या अन्य किसी अधिकारी के लिए कोई रिश्वत की राशि मांग नहीं की है और ना ही प्राप्त की है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री फूलसिंह को भैराराम से राशि प्राप्त करने के बारे में पूछने पर फूलसिंह ने परिवादी भैराराम से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में बताया कि उक्त राशि मैनें श्री चेतन शर्मा सहायक अभियंता के कहने पर उनके लिए, श्री जितेन्द्रसिंह वाणिज्यिक सहायक के लिए एवं अपने व लाईनमैन के लिए प्राप्त की है। तत्पष्चात पास ही खड़े परिवादी श्री भैराराम ने श्री चेतन शर्मा, एईएन एवं श्री जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए कहा कि साहब, श्री चेतन शर्मा एईएन एवं सीसी बाबू श्री जितेन्द्रसिंह झूठ बोल रहे है मैं पिछले दो माह से मेरी उपरोक्त तीनों पत्रावलियों में एससीओ आदेश करवाकर सोलर मीटर लगवाने हेतु इनसे कई बार मिला हूं मगर श्री चेतन शर्मा एईएन हर बार अपने अधीनस्थ बाबू जितेन्द्रसिंह व वाहन चालक श्री फूलसिंह से मिलने की बात कहने पर मैं संबंधित बाबू जितेन्द्र व फूलसिंह से कई बार मिला तथा हर बार श्री जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक एवं श्री फूलसिंह चालक द्वारा मेरे उपरोक्त कार्य के एवज में अपने स्वयं के लिए, श्री चेतन शर्मा सहायक अभियंता के लिए, श्री कपील बामिल जेईएन के लिए व श्री जितेन्द्रसिंह सीसी बाबू एवं लाईनमैन के लिए रिश्वत राशि की मांग की गई तथा मांग सत्यापन के दौरान श्री जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक एवं श्री फूलसिंह चालक स्वयं के लिए एवं अपने उपरोक्त अधिकारीयों के लिए रिश्वत राशि की मांग की गई तथा दिनांक 03.10.2025 को मैं रिश्वत राशि देने के लिए एईएन कार्यालय में उपस्थित आया बारीश होने से

उक्त अधिकारी अपने कार्यालय से जा चुके थे तथा श्री फूलसिंह जी से मिला जिसने तय की गई राषि 3500 रूपये मीटर लगाकर वाट्सअप पर फोटो भेजने पर आनलाईन पेमेंट करने की बात कही साथ ही कहा कि या फिर आप कार्यालय खुलने पर सोमवार या मंगलवार को आकर राशि दे देना। जिस पर मैं आज अपने पेडिंग कार्य के लिए श्री जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक से मिला तो उन्होनें मुझे सुमेर सिंह की पत्रावली देकर कहा कि आप यह पत्रावली श्री चेतन शर्मा एईएन के पास ले जाओ तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पर अनुमोदनार्थ हस्ताक्षर करवाकर ले आओ जिस पर मैं श्री सुमेरसिंह की पत्रावली लेकर श्री चेतन शर्मा एईएन साहब के पास गया। एईएन साहब ने उक्त पत्रावली प्राप्त कर अपने पास रखी तथा मुझे कहा कि आप जाओ आपका काम हो जायेगा। जिस पर मैं श्री जितेन्द्रसिंह सीसी बाबू से पुनः जाकर मिला तो उन्होनें कहा कि आप श्री फूलसिंह से मिलकर उनके द्वारा मांगी गई राषि दोगें तभी आपका काम होगा जिस पर मैं जितेन्द्र सिंह के कार्यालय कक्ष से रवाना होकर भवन के नीचे आया तो श्री फूलसिंह मुझे कार्यालय भवन के बाहर ही खड़ा मिला जिनसे मैं मिला तो उन्होनें मेरे से, मेरे काम की एवज में पूर्व में मांगी गई राशि 3,500/-रूपये मांगकर, प्राप्त की तथा गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायीं जेब में रखी है। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन निरीक्षक पुलिस को आवष्यक दिषा-निर्देष देकर आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक के रहवासिय मकान प्लाट नम्बर 627 गली नम्बर 08 हनुवत ए बीजेएस जोधपुर की खाना तलाशी लेने हेतु जरिये फोन श्री किषनसिंह उप अधीक्षक पुलिस भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर को निर्देषित फरमाया गया तत्पष्चात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए रवाना हुए। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस के निर्देषानुसार श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89 को श्री किशनसिंह उप अधीक्षक पुलिस से सम्पर्क कर आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह के उक्त पते पर खाना तलाशी में सहयोग करने हेतु रवाना किया गया। तत्पष्चात सरकारी वाहन से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री फूलसिंह पुत्र श्री ष्यामलाल जाति राजपूत उम्र 40 वर्श निवासी प्लाट नम्बर 03 दधिमती नगर, भदवासिया जोधपुर एवं हाल ठेके पर संचालित वाहन संख्या आरजे 19 टीबी 0413 के चालक (प्राईवेट) कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ आंफिस जोधपुर डिस्काम जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए ट्रेप बाक्स में से दो प्लास्टिक डिस्पोजल की साफ गिलास निकाल कर उक्त डिस्पोजल गिलासों में साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार किया गया तो दोनों गिलासो के घोल का रंग, रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने घोल का रंग, रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री फूलसिंह के दायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झांईदार हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग झांईदार होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे डिस्पोजल गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री फूलसिंह के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल के रंग को मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पष्चात उपरोक्त धोवन में प्रयुक्त की गई डिस्पोजल गिलासों को कार्यालय के डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री फूलसिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुरजसिंह, वरिश्ठ सहायक से लिरवाने पर आरोपी श्री फुलसिंह के पहनी हुई पेंट की आगे की बायीं जेब में 500-500 रूपये का एक बंडल मिला जिसे गवाह श्री सुरजसिंह वरिश्ठ सहायक से गिनवाने पर कुल राशि 3,500/-रूपये राशि होना पाई गई। गवाह श्री जगदीष नारायण व्यास, वरिश्ठ सहायक को पूर्व से मुर्तिबा फर्द पेषकषी सुपुर्द कर उसमें अंकित नोटों के नम्बरों का मिलान बरामद हुई रिश्वत राशि के नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हूबहू फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों के अनुसार होना पाये गये। उक्त भारतीय मुद्रा 3,500/-रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री फूलसिंह की जामा तलाशी मे ही उनकी पहनी हुई पेंट की दायीं जेब में एक ग्रे रंग का विवो कम्पनी का मोबाईल फोन मिला। उक्त मोबाईल फोन में डयूल सिम का होकर, उसमें एक की एयरटेल कम्पनी 8290545561 नम्बर की सिम लगी हुई एवं आईएमईआई नम्बर 1. 862054073853818 2. 862054073853800 है। उक्त मोबाईल प्रकरण में वांछित होने के कारण कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि बरामदगी स्थल आरोपी श्री फूलसिंह के पहनी हुई पेट की आगे की बायीं जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने के कारण उनके पहनने के लिए एक अन्य लोवर की व्यवस्था कर पहनी हुई पेंट

को उतरवाया गया। इसके बाद ट्रेप बाक्स में से एक नया डिस्पोजल गिलास निकलवाकर गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार रंगहीन घोल में रिश्वती राशि बरामदगी स्थल आरोपी श्री फूलसिंह की पहनी हुई पेंट की आगे की बायीं जेब को उल्टवाकर दो-तीन बार डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया गया। उक्त हल्का गुलाबी रंग के घोल को कांच की दो शीशीयों में अलग-अलग आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों को शील्ड मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से करवाई गई। उक्त पेंट की बायीं जेब को सुखोकर जेब पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर पेंट को एक कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्ड मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात परिवादी के पेडिंग कार्य से संबंधित पत्रावलिया एवं दस्तावेज के बारे में श्री चेतन षर्मा एईएन से पूछा गया तो उन्होंनें कहा कि उपभोक्ता श्री सुमेरसिंह की पत्रावली लेकर मेरे पास तथा उक्त पत्रावली में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पर अनुमोदनार्थ हस्ताक्षर करने हेतु कहा मगर वो पत्रावली मेरे पास मेरी टेबल पर पड़ी है जिस पर हस्ताक्षर करने शेष हैं तथा शेष दो पत्रावलियों के बारे में श्री जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक को जानकारी है जिस पर पास ही खड़े श्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि श्री भैराराम के उपभोक्ता श्रीमती खुशबू भास्कर की पत्रावली में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पर सहायक अभियंता के दिनांक 23.09.2025 से अनुमोदनार्थ हस्ताक्षर होकर मेरे पास एससीओ आदेश करने के लिए पड़ी है। जिस पर मेरे द्वारा एक प्रपत्र में कनेक्षन आदेश किया जाना शेष है तथा ओमप्रकाश की पत्रावली भी मेरे पास पड़ी है जिस पर भी एईएन साहब के हस्ताक्षर होने षेश है। जिस पर जितेन्द्र सिंह को साथ लेकर रूबरू गवाहान उपरोक्त दोनों उपभोक्ताओं श्रीमती खुशबू भास्कर एवं श्री ओमप्रकाष की पत्रावलियां श्री जितेन्द्र सिंह से प्राप्त की जाकर पत्रावली के प्रथम पृश्ठ एवं अंतिम पृश्ठ पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर प्रकरण में वांछित होने के कारण कब्जा ब्यूरो ली तथा उपभोक्ता श्री सुमेरसिंह की पत्रावली श्री चेतन शर्मा एईएन के पास अपनी टेबल पर रखी होने से उनसे प्राप्त कर पत्रावली के प्रथम एवं अंकित पृश्ठ पर हस्ताक्षर करवाकर प्रकरण में वांछित होने से उक्त पत्रावली भी कब्जा ब्यूरो ली गई। संबंधित रिकार्ड सोलर रजिस्टर एस-1 रजिस्टर वर्ष 2023-24 लिखा है जिसमें पत्रावली प्राप्त होने का इन्द्राज किया जाता है। उक्त रजिस्टर के पृश्ट संख्या 72 के क्रम संख्या 112 पर संबंधित उपभोक्ता श्रीमती खुषबू भास्कर की पत्रावली प्राप्त होने का इन्द्राज है इसी प्रकार पृश्ट संख्या 84 के क्रम संख्या 207 पर श्री सुमेरसिंह की पत्रावली प्राप्त होने का इन्द्राज एवं पृश्ट संख्या 84 के क्रम संख्या 209 पर श्री ओमप्रकाश की पत्रावली की पत्रावली प्राप्त होने का अंकन कर रखा है। उक्त पत्रावलियां प्राप्त होने पर उपभोक्ता श्री ओमप्रकाष की पत्रावली विधुत भार क्षमता बढ़ाने की होने के कारण जावक रसीद बुक के पृश्ट संख्या 84 के क्रम संख्या 07 पर इन्द्राज अंकन कर वास्ते एस्टीमेंट के लिए दिनांक 17.09.2025 को संबंधित जेईएन षिकार बेरा श्री कपील बामिल के पास भेजी गई। उन्होनें बाद एस्टीमेंट दिनांक 25.09.2025 को सीसी ब्रान्च में जरिये जावक रसीद बुक भेजी गई जिसका इन्द्राज षिकारी बेरा की जावक रसीद बुक के पृश्ठ संख्या 76 के क्रम संख्या 09 पर करके भेजी गई है। उक्त संबंधित रजिस्टर के पृश्ठों की एवं रसीद बुकों के पृश्ठों की फोटों कापी करवाकर श्री कपील बामिल जेईएन कार्यालय कनिश्ठ अभियंता ए-7 आरटीओ षिकारी बेरा जोधपुर डिस्काम जोधपुर से प्रमाणित करवाकर जरिये उनके अग्रेशण पत्र के प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई। अब तक की कार्यवाही से श्री चेतन षर्मा सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर से परिवादी द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं के सोलर प्लांट लगाने के लिए लगा रखी पत्रावलियों में सर्विस कनेक्षन करने के आदेष कर सोलर कनेक्षन करवाने के लिए बार-बार मिलने पर श्री चेतन षर्मा द्वारा एससीओ आदेष नहीं कर अपने अधीनस्थ संबंधित बाबू श्री जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक एवं वाहन चालक श्री फूलसिंह से मिलने के लिए कहना तथा परिवादी श्री भैराराम द्वारा एवं एईएन के कहेनुसार श्री जितेन्द्र सिंह एवं फूलसिंह से मिलने पर अपने लिए व श्री चेतन शर्मा एईएन, श्री कपील बामिल जेईएन व लाईनमैन के लिए रिष्वत राषि की मांग करना तथा आज वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के पष्चात आरोपी श्री फूलसिंह से जरिये फोन वार्ता करवाने पर, वार्ता के दौरान उनके पास पेडिंग दोनों पत्रावलियों पर हस्ताक्षर करने का कहने पर श्री चेतन षर्मा एईएन द्वारा हस्ताक्षर करने की स्वीकृति देना आदि तथ्यों से श्री चेतन शर्मा सहायक अभियंता की भूमिका संदिग्ध होना पाई गई है। आरोपी श्री जितेन्द्रसिंह वाणिज्यिक सहायक कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर एवं श्री फूलसिंह पुत्र श्री श्यामलाल जाति राजपूत उम्र 40 वर्श निवासी प्लाट नम्बर 03 दधिमति नगर भदवासिया जोधपुर हाल ठेके पर संचालित वाहन संख्या आरजे 19 टीबी 0413 चालक (प्राईवेट) कार्यालय

सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर द्वारा परिवादी श्री भैराराम वेन्डर फर्म श्री कृशणा ग्रीन एनर्जी जोधपुर के उपभोक्ता श्रीमती खूषबू भास्कर, श्री ओमप्रकाष एवं श्री सुमेरसिंह की पत्रावलियां सोलर प्लांट लगाने हेतु एससीओ आदेष कर सोलर कनेक्षन करने की एवज में अपने व अपने अधिकारियों के लिए रिश्वत की राशि मांगकर आरोपी श्री फूलसिंह द्वारा प्राप्त कर अपनी पहनी पेंट की आगे की बायीं जेब में रखी जहां से रूबरू मौतबिरान बरामद की गई एवं आरोपी श्री फूलसिंह के दोनों हाथों का विधिवत धोवन लिया जाकर शील्ड मोहर किया गया। उपरोक्त दोनों आरोपीगण का प्रथम दृश्टया अपराधिक कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 61 बीएनएस 2023 का कारित करना पाया गया जिन्हें जरिये अलग-अलग फर्दात गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर संबंधितगण को पढ़कर सुनाई गई, जिसे सुन समझ सही होना मान संबंधितगण से हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 09:30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री फूलसिंह पुत्र श्री श्यामलाल जाति राजपूत उम्र 40 वर्श निवासी प्लाट नम्बर 03 दधिमती नगर, भदवासिया जोधपुर हाल ठेके पर संचालित वाहन संख्या आरजे 19 टीबी 0413 का चालक (प्राईवेट) कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी, के गिरफ्तार किया गया। वक्त 09:45 पी.एम.पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत उम्र 42 वर्ष निवासी गली नम्बर 08 प्लाट नम्बर 627 हनुवंत ए बीजेएस जोधपुर हाल वाणिज्यिक सहायक कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी, के गिरफ्तार किया गया। इस समय रात्री का समय हो जाने एवं लाईट की समुचित व्यवस्था नहीं होने से घटना स्थल का मौका निरीक्षण कर नक्षा मौका आईन्दा परिवादी श्री भेराराम की निशादेही में स्वतंत्र गवाहान के रूबरू तैयार करने का निर्णय लिया गया एवं आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक का सेवा विवरण उपलब्ध करवाने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर को प्रेशित किया गया। वक्त 10:20 पी.एम. पर मन् मनीष चैधरी निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री फूलसिंह ठेके पर संचालित वाहन चालक, श्री जितेन्द्रसिह वाणिज्यिक सहायक दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो दल के फर्दात अनुसार मालखाना आईटम एवं जब्त/प्राप्त किया गया रिकार्ड तथा ट्रेप बाक्स, लेपटाप प्रिन्टर, डीवीआर को साथ लेकर मय सरकारी वाहन बोलेरो, ब्यूरो स्टाफ के निजी वाहन एवं परिवादी श्री भेराराम की निजी मोटरसाईकिल से ब्यूरो चैकी एसीबी एसयू जोधपुर के लिए रवाना हुआ। वक्त 10::35 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान एवं गिरफ्तार शुदा दोनों आरोपीगण के फिकरा उपरोक्त का रवाना शुदा ब्यूरो चोकी एसयू जोधपुर पहुचां। फर्दातानुसार प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल, आरोपी श्री फूलसिह के दोनों हाथों के धोवन के शील्ड शुदा शीशिया मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, व आरोपी श्री फूलसिह के पहनी हुई पेन्ट की आगे की बांयी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई उसके धोवन की शील्ड शुदा शीशीयां मार्क पी-1 व पी-2, तथा कपडे के टुकडे में शील्ड चिट रिश्वती राशि 3500/-रूपये एवं आरोपी श्री फूलसिह के पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त पेन्ट का शील्ड पेकेट, आरोपी श्री जितेन्द्रसिह का एक मोबाईल फोन वीवो कम्पनी का जिसमें एक सिम एयरटेल कम्पनी की जिसके मोबाईल नम्बर 8107311356 जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 860564078964 8509/35 2. 860564078964842/35 को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नंबर 67 को सुरक्षित हालात में सम्भलाये जाकर जमा मालखाना करवाये गये एवं सह आरोपी श्री फूलसिंह की जामा तलाशी मे ही उनकी पहनी हुई पेंट की दायीं जेब में एक गेर रंग का विवो कम्पनी का मोबाईल फोन मिला। उक्त मोबाईल फोन डयूल सिम का होकर, उसमें एक की एयरटेल कम्पनी 8290545561 नम्बर की सिम लगी हुई एवं आईएमईआई नम्बर 1. 862054073853818 2. 862054073853800 है जिसमे रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होने के पष्चात सह आरोपी श्री फुलसिंह एवं श्री चेतन षर्मा सहायक अभियन्ता के मध्य हुई रिश्वत राशि प्राप्ती से सम्बन्धित वार्ता रिकार्ड है, को एवं कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रावली, डिजीटल वायस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अलमारी में सुरक्षित रख कर लॉक किया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान, सर्व श्री सुरज सिंह, श्री जगदीश नारायण व्यास एवं परिवादी श्री भेराराम को दिनांक 08.10.2025 को समय 08.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदातय देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया। वक्त 10:55 पी.एम. पर श्री अयूब खान उप निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री कालूराम कानि. नम्बर 246, मय आरोपीगण श्री फूलसिंह ठेके पर संचालित वाहन चालक, श्री जितेन्द्रसिह वाणिज्यिक सहायक का मेडिकल चैकअप करवाने एवं सुरक्षित हवालात में जमा करवाने हेतु श्रीमान चिकित्सा अधिकारी राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर आयुक्तालय जोधपुर-पूर्व के नाम पृथक-पृथक तेहरीर जारी कर मय आरोपीगण श्री फूलसिंह ठेके पर संचालित वाहन चालक, श्री जितेन्द्रसिह वाणिज्यिक सहायक के सरकारी

वाहन बोलेरो मय चालक श्री खमाराम कानि. के सेटेलाईट हास्पिटल पावटा जोधपुर एवं पुलिस थाना उदयमंदिर आयुक्तालय जोधपुर के लिए रवाना किया गया। वक्त 11:45 पी.एम. पर श्री अयूब खान उप निरीक्षक पुलिस मय सरकारी बोलेरो मय चालक के आरोपीगण को बाद चिकित्सक परीक्षण के पुलिस थाना उदयमंदिर आयुक्तालय जोधपुर की हवालात में सुरक्षित जमा करवाकर एवं कानि. श्री कालूराम की रात्रि निगरानी ड्यूटी मामूर कर बाद उक्त कार्यवाही के कार्यालय हाजा उपस्थित आये एवं चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस थाना उदयमंदिर आयुक्तालय जोधपुर की रोजनामचाआम की रपट पेश की जो बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट की गई। दिनांक 08.10.2025 को वक्त 08:30 ए.एम. पर पूर्व से पाबंदशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुरज सिंह, श्री जगदीश नारायण व्यास एवं परिवादी श्री भेराराम ब्यूरो चैकी पर उपस्थित आये। वक्त 09:30 ए.एम.पर मन् मनीष चैधरी निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुरज सिंह, श्री जगदीश नारायण व्यास एवं परिवादी श्री भैराराम एवं श्री गणेषकुमार कानि. 219 के सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री खमाराम कानि. चालक के वास्ते घटनास्थल का निरीक्षण हेतु रवाना कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीयो जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर को हुआ। वक्त 09:50 ए.एम. पर मन् मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस रूबरू मौतविरान के परिवादी श्री भेराराम की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल एवं हालात मौका हालात मुर्तिब कर फर्द षामिल रनिंग नोट की गई तत्पष्चात कार्यालय हाजा के रवाना हुआ। वक्त 10.30 ए.एम.पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के जरिये सरकारी वाहन मय चालक के बाद घटनास्थल एवं हालात मौका हालात मुर्तिब कर एसीबी चैकी एसयू जोधपुर पर उपस्थित आये। वक्त 10.35 ए.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस के पास अलमारी में सुरक्षित रखा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 03.10.2025.2025 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व परिवादी श्री भेराराम व सह आरोपी श्री फूलसिंह वाहन चालक के मध्य हुई वार्ता जो वायस रिर्कोडर में लगे मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड है तथा दिनांक 07.10.2025 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन परिवादी श्री भैराराम व आरोपी श्री जितेन्द्रसिह एवं सह आरोपी श्री फूलसिह एवं श्री चेतन षर्मा सहायक अभियन्ता के मध्य हुई रूबरू वार्तालाप जो डिजिटल वायस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड है को, अलमारी से निकाल कर परिवादी श्री भैराराम व स्वतंत्र गवाहान के रूबरू उक्त डीवीआर को कार्यालय के लेपटाप से जोड़कर मन निरीक्षक पुलिस के निर्देषानुसार श्री गणेष राम कानि. 219 से मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओं को लेपटाप के इनबिल्ड स्पीकर से क्रमवार सुन-सुन एवं समझ-समझ कर हूबहू वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि वक्त लेन-देन से पूर्व एवं वक्त लेन देन रूबरू वार्ता मुर्तिब की गई। रिकार्ड वार्ताओं में एक आवाज परिवादी भैराराम ने स्वयं एवं दूसरी आवाज क्रमश, आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह, वाणिज्यिक सहायक, श्री चेतन शर्मा सहायक अभिंयता, सह आरोपी श्री फूलसिंह ठेके पर संचालित वाहन चालक की होने की पहचान की गई। उक्त मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओं को चार अलग-अलग पेन ड्राइव में सेव की गई। मैमोरी कार्ड को मूल मानते हुए एक कपड़े की थैली में शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त चारों पेन ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया। उक्त मूल मैमोरी कार्ड के कपडे की थैली का शील्ड शुदा पैकेट एवं चार डब पेन ड्राईव मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 67 को सम्भलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। वक्त 01.30 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस के पास अलमारी में सुरक्षित रखा सह आरोपी श्री फूलसिंह का मोबाईल फोन जो डयूल सिम का होकर, उसमें एक की एयरटेल कम्पनी 8290545561 नम्बर की सिम लगी हुई एवं आईएमईआई नम्बर 1. 862054073853818 2. 862054073853800 है जिसकी मेमोरी के आटो सेव रिकार्ड वार्ता आफसन में दिनांक 07.10.2025 को रिश्वत राशि लेन देन के पष्चात सह आरोपी श्री फूलसिंह एवं श्री चेतन षर्मा सहायक अभियन्ता के मध्य परिवादी श्री भेराराम के पेण्डिंग कार्य सम्बन्धित एवं रिश्वत राशि लेन-देन से सम्बन्धित वार्ता रिकार्ड है को अलमारी से बाहर निकालकर रूबरू गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिती में मेरे निर्देशन में कानि श्री गणेषराम से उक्त मोबाईल को चालु करवाकर स्पीकर आन कर रिकार्ड वार्ता को शब्द-बशब्द सुन सुन कर फर्द ट्रास्क्रिप्ट तैयार की गई। उक्त मोबाईल में रिकार्ड वार्ता के पाच पेन ड्राइव में सेव करवाकर उक्त मे से एक पेन ड्राइव को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में शील्ड मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त चारों पेन ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया। उक्त मोबाईल व कपडे की थैली मे शील्ड शुदा मूल पेन ड्राइव तथा चार डब पेन ड्राईव खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 67 को सम्भलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया।

एक चारो पेन ड्राइव को डब मानते हुए को खुला रखा गया । उक्त मोबाईल के आटो सेव आफसन में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज सह आरोपी श्री फूलसिंह व दुसरी आवाज श्री चेतन शर्मा सहायक अभियंता की होने की पहचान की। उक्त मोबाईल व चारो पेन ड्राइव खुली हालात मे मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि को संभलाये जाकर जमा मालखाना करवाये गये।अब तक की कार्यवाही से श्री चेतन शर्मा सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर से परिवादी द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं के सोलर प्लांट लगाने के लिए लगा रखी पत्रावलियों में सर्विस कनेक्षन करने के आदेश कर सोलर कनेक्षन करवाने के लिए बार-बार मिलने पर श्री चेतन शर्मा द्वारा एससीओ आदेश नहीं कर अपने अधीनस्थ संबंधित बाबू श्री जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक एवं वाहन चालक श्री फूलसिंह (प्राईवेट) से मिलने के लिए कहना तथा परिवादी श्री भैराराम द्वारा एवं एईएन के कहेनुसार श्री जितेन्द्र सिंह एवं फूलसिंह वाहन चालक से मिलने पर अपने लिए व श्री चेतन शर्मा एईएन, श्री कपील बामिल जेईएन व लाईनमैन के लिए रिश्वत राशि की मांग करना तथा आज वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के पश्यात आरोपी श्री फूलसिंह से जरिये फोन वार्ता करवाने पर, वार्ता के दौरान श्री फूलसिह वाहन चालक द्वारा श्री चेतन शर्मा सहायक अभियन्ता के पास परिवादी श्री भेराराम की पेडिंग दोनों पत्रावलियों पर हस्ताक्षर करने का कहने पर श्री चेतन शर्मा एईएन द्वारा हस्ताक्षर करने की स्वीकृति देना आदि तथ्यों से श्री चेतन शर्मा सहायक अभियंता की भूमिका संदिग्ध होना पाई गई है जिसके बारे में अनुसंधान के दौरान स्थिती स्पशट की जावेगी। आरोपी श्री जितेन्द्रसिंह वाणिज्यिक सहायक कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर एवं श्री फूलसिंह पुत्र श्री श्यामलाल जाति राजपूत उम्र 40 वर्श निवासी प्लाट नम्बर 03 दधिमति नगर भदवासिया जोधपुर हाल ठेके पर संचालित वाहन संख्या आरजे 19 टीबी 0413 चालक (प्राईवेट) कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर द्वारा परिवादी श्री भैराराम वेन्डर फर्म श्री कृश्णा ग्रीन एनर्जी जोधपुर के उपभोक्ता श्रीमती खूषबू भास्कर, श्री ओमप्रकाश एवं श्री सुमेरसिंह की पत्रावलियां सोलर प्लांट लगाने हेतु एससीओ आदेश कर सोलर कनेक्षन करने की एवज में अपने व अपने अधिकारियों के लिए रिश्वत की राशि मांगकर आरोपी श्री फूलसिंह द्वारा प्राप्त कर अपनी पहनी पेंट की आगे की बायीं जेब में रखी जहां से रूबरू मौतबिरान बरामद की गई एवं आरोपी श्री फूलसिंह के दोनों हाथों का विधिवत धोवन लिया जाकर शील्ड मोहर किया गया। उपरोक्त दोनों आरोपीगण का प्रथम दृश्टया अपराधिक कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 61 बीएनएस 2023 का कारित करना पाया गया जिन्हें जरिये अलग-अलग फर्दात गिरफ्तार किया गया है।

अतः श्री जितेन्द्रसिंह वाणिज्यिक सहायक कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर एवं श्री फूलसिंह पुत्र श्री श्यामलाल जाति राजपूत उम्र 40 वर्श निवासी प्लाट नम्बर 03 दधिमति नगर भदवासिया जोधपुर हाल ठेके पर संचालित वाहन संख्या आरजे 19 टीबी 0413 चालक (प्राईवेट) कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर डिस्काम जोधपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 बीएनएस 2023 के तहत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(मनीष चौधरी)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
एसयू जोधपुर